II–157
C.J.

Witness No. ....07.... For ....अभियोजन.... Deposition Take

The ....30 जुलाई....day of ....2026.... Witness's apparent age ....38 वर्ष....

States on affirmation ....शपथपूर्वक.... My name is ....भवानी सिंह चौहान....

Son of ....श्री के.आर. चौहान....occupation ....उपनिरीक्षक....

Address ....पुलिस लाईन जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग.....

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री के.एन.कश्यप अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मैं वर्ष 2025 में थाना जांजगीर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था । मैंने प्रार्थी के लिखित रिपोर्ट **प्र०पी०–01** के आधार पर थाना जांजगीर में अपराध क्र०–907/2025 धारा–331(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आरोपी तीन अज्ञात नकाबपोस के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था जो **प्र०पी०–02** है जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

02. मैंने दिनांक 05/10/2025 को घटना स्थल जाकर प्रार्थी के बताये अनुसार घटना स्थल का नक्शा तैयार किया था । नक्शा प्र०पी०–03 है जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । मैंने दिनांक 05/10/2025 को गवाहों को कार्यवाही में भाग लेने हेतु नोटिस दिया था जो प्र०पी०–04 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । मैंने दिनांक 05/10/2025 को आरोपी मनीष बनवा, चैतन्य दिनकर, हितेश दिनकर, तरुण सूर्यवंशी, जीतेन्द्र दिनकर का गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन तैयार किया था । मेमोरेण्डम कथन **प्र०पी०–05**, **प्र०पी०–06**, **प्र०पी०–07**, **प्र०पी०–08**, **प्र०पी०–09** है जिसके क्रमशः स से स भाग पर मेरा एवं द से द भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं ।

03. मैंने दिनांक 05/10/2025 को आरोपी मनीष कुमार बनवा के पेश करने पर एक नग लोहे का धारनुमा हथियार चाकू तथा एक मोटरसायकल क्र०–CG–11MB–0586 तथा एक नग मोबाईल Rialme कम्पनी का तथा एक नग लोहे का देशी पिस्तौलनुमा हथियार,

पांच नग जिसमें 25 एवं 32 राउण्ड के उपरी में सिरे में दर्ज अंग्रेजी में HPM लिखा तथा एक नग मैग्जिन गवाहों के समक्ष जप्त किया था । जप्ती पत्र क्रमशः प्र०पी०–10 एवं प्र०पी०–11 है जिसके स से स भाग पर मेरा एवं द से द भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है ।

04. मैंने दिनांक 05/10/2025 को आरोपी हितेश दिनकर से एक नग लोहे का सब्बल जिसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच तथा घटना में प्रयुक्त नकाब दो नग तथा एक नग शॉओ मी कम्पनी का टच स्क्रीन का सिम लगा मोबाईल गवाहों के समक्ष जप्त किया था । जप्ती पत्र प्र०पी०–12 है जिसके स से स भाग पर मेरा एवं द से द भाग पर आरोपी हितेश का हस्ताक्षर है । मैंने दिनांक 05/10/2025 को आरोपी चैतन्य दिनकर के पेश करने पर एक नग लोहे का सब्बल जिसकी लंबाई 4 फीट 3 इंच थी गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्र०पी०–13 है जिसके स से स भाग पर मेरा एवं द से द भाग पर आरोपी चैतन्य दिनकर का हस्ताक्षर है ।

05. मैंने दिनांक 05/10/2025 को आरोपी जीतेन्द्र दिनकर के पेश करने पर एक नग विवो मोबाईल सिम लगा हुआ गवाहों के समक्ष जप्त किया था । जप्ती पत्र प्र०पी०–14 है जिसके स से स भाग पर मेरा एवं द से द भाग पर आरोपी जीतेन्द्र दिनकर का हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को आरोपी तरुण कुमार के पेश करने पर एक नग मोबाईल मोटो–जी 85 मॉडल् कम्पनी का गवाहों के समक्ष जप्त किया था । जप्ती पत्र प्र०पी०–15 है जिसके स से स भाग पर मेरा तथा द से द भाग पर आरोपी तरुण कुमार का हस्ताक्षर है ।

06. मैंने दिनांक 05/10/2025 को आरोपी मनीष बनवा, चैतन्य दिनकर, हितेश दिनकर का गवाह राहुल अग्रवाल, विमल यादव से पहचान कराया था, जिसके संबंध में पहचान पंचनामा तैयार किया था । पहचान पंचनामा प्र०पी०–24 है, जिसके ब से ब भाग पर मेरा तथा स से स एवं द से द एवं इ से इ भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं । मैंने दिनांक 05/10/2025 को आरोपी मनीष कुमार बनवा, चैतन्य दिनकर, जीतेन्द्र दिनकर, तरुण कुमार, हितेश दिनकर को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार

किया था जो क्रमशः प्र०पी०–16, 17, 18, 19, 20 है जिसके स से स भाग पर मेरा तथा द से द भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है ।

07. मैंने दिनांक 30/10/2025 को घटना स्थल का पटवारी नक्शा हेतु तहसीलदार जांजगीर को आवेदन प्रेषित किया था । जो प्र०पी०–28 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । दिनांक 30/10/2025 को मोटरसायकल क्र०–CG–11 MB–0586 के स्वामित्व के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी जांजगीर को नोटिस प्रेषित किया था । नोटिस प्र०पी०–29 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है ।

08. दिनांक 06/11/2025 को प्रकरण में जप्त लोहे के पिस्तौलनुमा हथियार का आर्मोरर से परीक्षण कराने हेतु रक्षित निरीक्षक जिला जांजगीर चांपा को आवेदन प्रेषित किया था जो प्र०पी०–30 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है ।

09. मैंने विवेचना के दौरान साक्षी राहुल अग्रवाल, विमल यादव, छगन लाल अग्रवाल, श्रीमती ज्ञानबाई का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था । प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अनुप कुमार मजूमदार अधिवक्ता वास्ते मनीष, चैतन्य, हितेश एवं जितेन्द्र</u>

10. यह कहना सही है कि आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–02 दर्ज होने के पूर्व आरोपी मनीष, चैतन्य, हितेश को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया था और थाने में बैठा लिया गया था । स्वतः कहा कि रात्रि पैट्रोलिंग पुलिस द्वारा आरोपीगण को अभिरक्षा में लिया गया था और थाने में लाया गया था । यह कहना सही है कि पैट्रोलिंग वाहन में ड्यूटीरत पुलिस वालों के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया गया था । यह कहना सही है कि आरोपीगण को रात भर थाना में बैठाया गया था और दिनांक 05/10/2025 को 14.41 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है ।

11. यह कहना सही है कि आरोपीगण को किस अपराध के किये जाने हेतु पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था इस संबंध में रोजनामचा सान्हा की कापी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है । यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–01 दर्ज किये जाने के पूर्व आरोपीगण से मेरे द्वारा कोई पूछताछ नहीं किया गया है । मुझे इस बात की जानकारी है कि थाना

जांजगीर में पदस्थ किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के पूर्व उनसे पूछताछ की गयी या नहीं ।

12. यह कहना सही है कि लिखित रिपोर्ट प्र०पी०–01 में प्रार्थी के द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसके दुकान में कथित रुप से नकाबपोश लोगों के द्वारा घटना कारित करते समय नकाब खुल गया था। यह कहना सही है कि मैंने घटना स्थल से किसी भी ऐसे औजार की जप्ती नहीं की है जिसे कथित तौर पर अपराध किये जाने में उपयोग किया गया हो ।

13. यह कहना सही है कि जिस दुकान के शटर तोड़कर अपराध किये जाने का आरोपीगण पर आरोप है उस दुकान पर सी.सी.टी.वी.कैमरा स्थापित है । स्वतः कहा कि प्रार्थी ने यह बताया था कि सीसीटीवी कैमरा कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था । यह कहना सही है कि प्रार्थी के द्वारा कथित तौर पर घटना स्थल दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, इस संबंध में मैंने कोई पंचनामा की कार्यवाही नहीं की है ।

14. यह कहना गलत है कि आरोपीगण के द्वारा मेरे समक्ष अपराध किये जाने की स्वीकारोक्ति नहीं की गयी थी और न ही मैंने उनके निशानदेही पर किसी भी सम्पत्ति की जप्ती किया है । यह कहना गलत है कि मैंने आरोपीगण को प्रताड़ित कर उनका मेमोरेण्डम कथन फर्जी तरीके से 10–10,15–15 मिनट के अंतर में लेखबद्ध किया है । यह कहना गलत है कि मैंने आरोपीगण से सामानों की जप्ती किये जाने के संबंध में फर्जी तरीके से जप्ती पत्र उन्हें प्रताडित कर तैयार किया है । यह कहना गलत है कि मैंने आरोपीगण को प्रताडित कर मेमोरेण्डम और जप्ती पत्रक में उनका हस्ताक्षर लिया है । यह कहना गलत है कि मैंने मेमोरेण्डम कथन और जप्ती पत्रक में उनके साक्षियों का हस्ताक्षर भी फर्जी तरीके से लिया है ।

15. यह कहना सही है कि मैंने मेमोरेण्डम कथन और जप्ती पत्रक के कार्यवाही का विडियो रिकार्डिंग नहीं कराया है । यह कहना गलत है कि मैंने जिस पिस्टल की जप्ती आरोपी मनीष बनवा से बताया है उसे मैंने ही फटाखे की दुकान से खरीदकर फर्जी तरीके से बताया है । यह कहना सही है कि प्रकरण में पिस्टल और मैग्जिन के फोटोग्राफ प्रकरण में

संलग्न नहीं है । यह कहना सही है कि मैंने पिस्टल के बैरल में कथित तौर पर जप्त मैग्जिन आता है या नहीं इस संबंध में कोई भी पंचनामा या विडियोग्राफी नहीं किया है ।

16. यह कहना सही है कि मैंने दिनांक 05/10/2025 को पिस्टल एवं राउण्ड मैग्जिन की जप्ती दर्शाया है । यह कहना सही है कि मैंने उक्त जप्तशुदा पिस्टल और राउण्ड मैग्जिन को दिनांक 06/11/2025 को आर्मोरर को जांच हेतु प्रेषित किया जाना बताया है । यह कहना सही है कि दिनांक 05/10/2025 से दिनांक 06/11/2025 तक उक्त जप्तशुदा पिस्टल और राउण्ड मैग्जिन को सुरक्षार्थ कहां रखा गया था इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। स्वतः कहा कि मालखाना में रखा था ।

17. मुझे याद नहीं है कि मैंने जप्तशुदा पिस्टल और राउण्ड मैग्जिन को कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा को प्रेषित नहीं किया है । यह कहना गलत है कि मैंने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री नंद कुमार यादव अधिवक्ता वास्ते तरुण सूर्यवंशी</u>

18. कुछ नहीं ।

वाचित सत्य स्वीकृत ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
GANESH RAM PATEL Digitally signed by GANESH RAM PATEL Date: 2026.07.30 17:10:57 +0530	GANESH RAM PATEL Digitally signed by GANESH RAM PATEL Date: 2026.07.30 17:11:04 +0530
(गणेश राम पटेल)	(गणेश राम पटेल)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)	जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)